सिटीजन चार्टर : बिहार की राह चला केंद्र

नई दिल्ली | एजेंसी

केन्द्र सरकार ने भले ही मंगलवार को लोकसभा में सिटीजन चार्टर बिल पेश किया है लेकिन बिहार में यह राइट टू सर्विस एक्ट के नाम से पहले से ही लागू है। 15 अगस्त 2011 से राज्य में सरकारी कर्मियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर लोगों के काम पूरे करने पड़ रहे हैं।

केन्द्र ने बिहार की राह चलते हुए सिटीजन चार्टर विधेयक में समयसीमा के भीतर सरकारी सेवा देने में आनाकानी करने या टालमटोल करने वाले कर्मचारियों पर 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि जुर्माना संबंधित कर्मचारी के वेतन से काटकर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका काम करने से उसने इंकार किया था। इसके अलावा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी चलेगा। सिटीजन चार्टर को समाजसेवी अन्ना हजारे लोकपाल के अधीन रखने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने यह बात तो नहीं मानी अलबत्ता सिटीजन चार्टर कानून के तहत अंतिम अपील राज्य में लोकायुक्त और केंद्र में लोकपाल से हो सकेगी। विधेयक के कानूनी रूप लेने के छह महीने के अंदर सभी सरकारी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लगाना अनिवार्य होगा जिसमें नागरिकों को उपलब्ध कराए जाने वाले सामान और सेवाओं, उन्हें उपलब्ध कराने की समय सीमा तथा उनसे संबंधित अधिकारियों के नामों का उल्लेख करना होगा। शिकायत को प्राप्त करने, उसकी जांच करने व निवारण के लिए शिकायत निवारण अधिकारियों की भी नियुक्ति करनी होगी।

बिल लोकसभा में पेश

- सेवा तय समयसीमा में मुहैया कराना संबंधित सेवाधिकारी की जिम्मेदारी
- ऐसा न होने पर जन शिकायत अधिकारी इसे 30 दिन में करेगा हल
- वहां भी हल न निकला तो अपीली प्राधिकरण 30 दिन में निपटारा करेगा

शिकायत निपटाने वाली संस्था

- शिकायतों के निपटारे के लिए विभाग स्तर से लेकर राज्य और केन्द्र स्तर तक व्यवस्था की जाएगी • केन्द्रीय आयोग के फैसले के खिलाफ प्रस्तावित लोकपाल संस्था में और राज्य आयोग के विरुद्ध लोकायुक्त में अपील की जा सकेगी

बिहार

राइट टू सर्विस एक्ट:
15 अगस्त 11 से लागू, **10** विभागों की **50** सेवाएं शामिल

कितने दिन में कौन सी सेवा

जाति प्रमाण पत्र	21
आवासीय प्रमाण पत्र	21
आय प्रमाण पत्र	21
लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस	15
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस	30
नया राशन कार्ड	60